न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 65/2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगत राजेश्वर आरएएस

1. भोलूराम पुत्र श्री सीताराम
2. श्रीमती कोयली देवी पत्नी श्री भोलूराम जाति जाट निवासी ग्राम नयावास, पोस्ट बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश
2. जगदीश
3. रामगोपाल
4. सीताराम

समस्त पुत्रान् छीतर जाति जाट निवासी ग्राम नयावास, पोस्ट बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधिन विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिए आवेदन पत्र

निर्णय

दिनांक 14.12.2018

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिए का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर उपखण्ड जयपुर द्वितीय जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2596 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर सम्पूर्ण के, खसरा नम्बर 2591 रकबा 0.06 हैक्टेयर के 1/4 हिस्सा के, खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण अपनी उक्त कृषि आराजीयात की देखभाल व काश्त करने के उद्देश्य से यहां पर स्थाई रूप से कई वर्षो से निवास करते चले आ रहे है, जिस उद्देश्य से आवेदकगण ने अपनी उक्त आराजीयात् में पुख्ता निर्माण कर सन् 1997 से

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

ही निवास कर उक्त आराजीयात् का कृषि कार्य हेतु उपयोग–उपभोग कर रहे है व अनआवेदकगणो की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 में से तत्समय से ही आवागमन कर रहे है तथा अनआवेदको की सहमति से ही कृषि कार्य हेतु अपने कृषि संयत्र ट्रेक्टर, ट्रोली, गाडी, हल इत्यादि ले जाकर कृषि आराजीयात् का उपयोग–उपभोग कर रहे थे। आवेदक संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2591 राजस्व अभिलेखों में अंकित रास्ते की भूमि पर स्थित है। आवेदकगण की अन्य कृषि आराजीयात् खसरा नम्बर 2594, 2595, 2596 पर अपने कृषि कार्यो के लिए संयत्र उपकरण ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता अनआवेदकगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 के उत्तरी दिशा में स्थित है। जो कि आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2591 व 2594 के बीच में स्थित है। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दिखाया गया है इसके अतिरिक्त आवेदकगण की भूमि में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता स्थित नही है। आवेदकगण कई वर्षो से अनआवेदकगणों की सहमति से कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 के उत्तरी–पूर्व सीमा से आवागमन कर अपना कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। लेकिन दिनांक 27/06/2016 को अनआवेदको ने उक्त रास्ते के संबध में अपनी असहमति प्रकट करते हुये कहां कि ये कोई सरकारी रास्ता नही है तथा तुम हमारी सहमति से कृषि संयत्र ले जाते है तथा आवागमन करते हो। हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। हमनें फसल बोदी है हमें नुकसान होता है अब हम तुम्हें इस रास्ते से आने जाने नही देगें व कृषि कार्य करने नहीं देगें। अनआवेदकों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 के उत्तरी दिशा की ओर जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। आवेदकगण को अपनी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के कृषि कार्य हेतु उपयोग–उपभोग के लिए 20 फिट चौडे रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है जिस हेतु आंवेदकगण अनआवेदकगणों को प्रतिकर संदाय करने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपनी उक्त कृषि आराजीयात की जमाबंदी संवत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपी, नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति व नकल नक्शा ट्रेस सम्पूर्ण ग्राम बगरूकलां की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनकी ओर से श्री गोगराज चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जबाव से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे की प्रति प्रार्थीगण से दिलाए जाने का निवेदन किया। जिस पर नकल नक्शा अधिवक्ता

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलवाया जाकर प्रार्थना पत्र निरतारित किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बावजुद अंतिम अवसर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27/07/2017 को अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया तथा पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई। बहस अंतिम से पूर्व न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रास्ते के सम्बन्ध में मौके की वास्तविक स्थिति के लिए तहरीर तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को जारी की गई। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक RA/2017/892 दिनांक 07/12/2017 द्वारा मय पटवारी रिपोर्ट अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली है।

यह कि दिनांक 23/02/2018 को वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा सी.पी.सी पेश किया नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25/07/2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वकील अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर दिनांक 05/10/2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी खारिज किया गया। दिनांक 26/10/2018 को वकील प्रार्थीगण ने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क सुनी जाने का निवेदन किया अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02/11/2018 को नियत की गई। दिनांक 02/11/2018 को भी वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का बावजूद पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात् व रिपोर्ट तहसीलदार से बखुबी प्रमाणित है, तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण का मकान खसरा नम्बर 2594 में बना हुआ है। प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 2590 गै0मु0 रास्ते से होकर खसरा नम्बर 2591 गै0मु0 चाह से खसरा नम्बर 2592 की उत्तरी मेड पर बनी पगंडडी का उपयोग करते हुए अपने मकान पर आ जा रहा है। उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

वर्तमान रिकार्ड एवं मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 2594, 2595, 2596, 2597 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 2591 के सह काश्तकार खातेदार है। खसरा नम्बर 2591, 2590 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है के लगवा है। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार व राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 2594, 2595, 2596, 2597 पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2591 में से होकर आते–जाते है। प्रार्थीगण की अपनी अन्य आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बर 2594, 2595, 2596, 2597 पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 में से होकर जाना पडता है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि आराजीयात् में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 पर पगंडडीनुमा रास्ता उपलब्ध है। जो कि प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात को कृषि कार्य हेतु उपयोग–उपभोग में लिए जाने के लिए अपर्याप्त है, इस कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2594, 2595, 2596, 2597 को कृषि उपयोग के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 में वर्तमान में स्थित पगडंडी नुमा रास्ते को 15 फिट चौड़ा विस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा इस विस्तारित रास्ते हेतु अप्रार्थीगण की ली जानी वाली आराजी का वर्तमान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर से मुआवजा दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विद्यमान रास्ते को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2592 रकबा 0.17 हैक्टेयर के उत्तरी दिशा में तथा खसरा नम्बर 2591 व 2594 के मध्य में स्थित पगडंडीनुमा रास्ते के स्थान पर 15 फिट चौडा रास्ता मौके पर कायम कर राजस्व अभिलेखों जमाबंदी व नक्शे में तरमीम करे तथा इस रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की कृषि भूमि का मुआवजा डीएलसी दर से

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

दुगनी कीमत पर निर्धारित कर राशि की वसूली प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जमा करावे तथा सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् उक्त जमाशुदा राशि को अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। इस हेतु तहसीलदार सांगानेर को मय नकल आदेश तहरीर जारी हों। तहसीलदार उक्त आदेश की पालना 15 दिवस में सुनिश्चित करे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय), जयपुर

Scanned by CamScanner